बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 74/2021/आवेदन 136 एलआरएक्ट

पूरण मल पुत्र गोमाराम जाति गुर्जर निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– प्रार्थी

ब ना म

तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.

उपस्थिति–

1. श्री बनवारी लाल व सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 02.08.2022

1 आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक की कृषि भूमियॉ ख.नं. 2364, 2367 किता 2 कुल रकबा 3.7300 हैक्टेयर वाके ग्राम शिश्यू पटवार हल्का शिश्यू भू.अ.नि.क्षेत्र रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर व ख.नं. 972 ता 974 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3500 हैक्टर वाके ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का शिश्यू भू.अ.नि.क्षेत्र रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज. की तन में अवस्थित है जिसका प्रार्थी रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जिनमें वादी आवेकद का 1/2 हक व हिस्सा चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी आवेदक 1/2 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार है आवेदक अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम जगदीश पुत्र गोमा अंकित है जबकि आवेदक का सही व सत्य नाम पूरण मल पुत्र गोमा राम है जो नाम आवेदक के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि समस्त दस्तावेज में अंकित है। इस प्रकार आवेदक के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जगदीश पुत्र गोमा अंकित है जो पूरण मल पुत्र गोमा राम अंकित किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

कमाने खाने के लिए बाहर मजदूरी करता है जिस कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम के बारे में कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी जब प्रधानमंत्री किसान योजना (पी.एफ.एम.एस.) के तहत प्रतिवर्ष 6000/- रूपये दिये जाने की घोषणा के पश्चात अपना खाता ऑन लाईन पर आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड से लिंक करवाने के लिए 10 रोज पूर्व ई मित्र पर गया तो जमाबन्दी देखी तब नाम के बारे में जानकारी हुई जिस कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को पूरण मल पुत्र गोमा राम के नाम से ही जाना पहचाना जाता है तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजात केवल मात्र पूरण मल पुत्र गोमा राम के नाम से बने हुए है जो सही व सत्य है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 2364, 2367 किता 2 कुल रकबा 3. 7300 हैक्टेयर वाके ग्राम शिश्यू पटवार हल्का शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर व ख.नं. 972 ता 974 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3500 हैक्टर वाके ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र गोमा के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम पूरण मल पुत्र गोमा राम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। सहखातेदार कजोड़ पुत्र गोमा राम ने प्रार्थी के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र गोमा के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम पूरणमल पुत्र गोमाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी शिश्यु एवं ग्राम पंचायत शिश्यु के प्रमाण पत्र के आधार पर जगदीश उर्फ पूरणमल पिता गोमाराम शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं सहखातेदार के साक्ष्य शपथ पत्र पर गौर किया तथा तहसीलदार रिपोर्ट एवं सहखातेदार के साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 2364, 2367 किता 2 कुल रकबा 3.7300 हैक्टेयर वाके ग्राम शिश्यू पटवार हल्का शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर व ख.नं. 972 ता 974 कुल किता 3 कुल रकबा 1. 3500 हैक्टर वाके ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र गोमा के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम पूरण मल उर्फ जगदीश पुत्र गोमाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ